



कुंदन कुमार, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, बाँका

समाहरणालय बाँका
(स्थापना शाखा)



पत्रांक 34-03/2016...../स्था0,

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बाँका।

विषय :- अनुबंध के आधार पर कार्यपालक सहायक की सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर निर्मित कार्यपालक सहायक के पैनल से चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रेषण।

बाँका, दिनांक/जुलाई, 2018

प्रसंग :- पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3302/पं0रा0 दिनांक 14.06.2018 एवं आपका पत्रांक-1199/पं0 दिनांक 17.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मुख्यमंत्री निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण, गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को एक-एक कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया जाना है। आयुक्त के सचिव भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-1033/स्था0, दिनांक-04.07.18 से कार्यपालक सहायक हेतु अनुमोदित रोस्टर के अनुसार आपके पत्रांक-1199/पं0 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधियाचित आरक्षण कोटि (प्रखंडवार) के अनुसार बाँका जिले के लिए कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु वर्ष-2016 में निर्मित अंतिम मेधा सूची/पैनल से नियमानुसार अनुबंध पर नियोजन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए उसकी सेवा अग्रेतर कार्रवाई हेतु आपको दी जाती है :-

क्र0	प्रखण्ड का नाम	कोटि	संधारित पैनल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का कोटि	पिता का नाम	पता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5		6	7	8
1	अमरपुर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	67	रविन्द्र कुमार पंडित	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नेफहारी पंडित	ग्राम+पो0-बसमाता, थाना-बैलहर, जिला- बाँका।	
2	फुल्लीडुमर	अनारक्षित	63	अमन कुमार	पिछड़ा वर्ग	रविन्द्र कुमार चौधरी	ग्राम+पो0-भरतशिला, थाना-शंभुगंज, जिला-बाँका।	

उक्त अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन विभागीय निदेश के आलोक में उन्हें अपने स्तर से संविदा पर नियोजित करना सुनिश्चित करेंगे।

- इनका नियोजन योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए बिल्कुल अस्थायी रूप से किया जायेगा। कार्य-कलाप संतोषप्रद पाये जाने पर आवश्यकतानुसार नियोजन की अवधि सम्बद्ध नियोजन पदाधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।
- इन्हें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-163/DSC, दिनांक-01.09.2015 के अलोक में समेकित रूप से कुल-11,345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रुपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान पंचायती राज पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक-3302/पं0रा0 दिनांक 14.06.2018 के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका द्वारा किया जायेगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगने वाले Consumable

Items (पेपर, कार्टिज आदि) की आपूर्ति नियोजित एवं पदस्थापित कार्यालय द्वारा की जायेगी।
Internet Connection का Bill नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

10. इन्हें योगदान की तिथि को अपने साथ डेस्कटॉप (कम्प्यूटर), प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 (इन्टरनेट कनेक्टिभीटी के साथ) लाना होगा तथा नियोजित कार्यालय में स्थापित करना होगा।
11. कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना कारण बताये नियोजन रद्द करने का अधिकार सम्बन्धित नियोजन पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, बाँका को सुरक्षित रहेगा।
12. इस आशय का शपथ-पत्र अभ्यर्थी से लिया जाय कि यह नियोजन संविदा के आधार पर बिलकुल अस्थायी होगा। इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र एवं अन्य सूचनाएँ गलत पाये जाने पर उन्हें नियोजन मुक्त किया जा सकेगा। साथ ही उनसे योगदान के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उनका योगदान स्वीकृत किया जाय :-
 - (क) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
 - (ख) शादी में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी शपथ पत्र।
 - (ग) संज्ञेय अपराध में शामिल नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र।
 - (घ) स्वअभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
13. संबंधित अभ्यर्थी का योगदान Service Agreement Paper पर हस्ताक्षर के उपरान्त ही स्वीकार किया जाएगा।
14. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना एवं संबंधित विभाग से भविष्य में एतद् नियोजन संबंधी प्रतिकूल आदेश/निदेश प्राप्त होने की स्थिति में तदनुसार यह नियोजन भी प्रभावित होगा।

उक्त सभी अभ्यर्थी उक्त शर्तों के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका के कार्यालय में दिनांक 26.07.2016 को अपना योगदान करेंगे।

उक्त शर्तों के आलोक में नियोजन की कार्रवाई नियमानुसार की जाय तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ॐ -

जिला पदाधिकारी,
बाँका।

ज्ञापांक 34-03/2016.....394...../स्था0, दिनांक25...../जुलाई, 2018

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0प्रबंधक, बाँका को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, बाँका/अपर समाहर्ता, बाँका /अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका /वरीय कोषागार पदाधिकारी, बाँका /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाँका जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

जिला पदाधिकारी,
बाँका।